माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
ई–मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
फैक्स – : (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 352 / परीक्षा समन्वय / 2012 भोपाल दिनांक 06 जनवरी, 2012

प्रति,

प्राचार्य
समस्त मान्यता प्राप्त संस्थायें
मध्यप्रदेश।

विषय :– हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी परीक्षा के संशोधन कार्ड में जांच उपरांत संशोधन करने एवं कक्षा 9वीं में अध्ययनरत शिक्षण सत्र 2011–12 हेतु प्रवेशित छात्रों के नामांकन आवेदन पत्र भरवाने विषयक।

—//—

अ–(संशोधन कार्ड में संशोधन करने हेतु निर्देश)

1. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परिक्षार्थियों को त्रुटि रहित अंकसूची, प्रमाण पत्र एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र प्रदाय करने के उददेश्य से संशोधन कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे है। नियमित परीक्षार्थियों हेतु संस्था प्राचार्य तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों हेतु संशोधन पत्रक की कार्यवाही संबंधित अग्रसरकर्ता अधिकारी के माध्यम से की जाना है।
2. संशोधन पत्रक के सरल कमांकों में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाना है। निर्धारित समयावधि में संशोधन पत्रक मण्डल में उपलब्ध कराने का समस्त दायित्व परीक्षार्थी व संस्था प्राचार्य का होगा।
3. प्राप्त संशोधन पत्रक में परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि तथा विषयों का मिलान सूक्ष्मता से संस्था में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर (जिसके आधार पर आवेदन किया गया है) करने पर यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो संशोधन पत्रक में त्रुटिपूर्ण जानकारी पर गोला लगाकर वांछित संशोधन लाल स्याही वाले पेन से अंग्रेजी के सुवाच्य अक्षरों में अंकित कर अपने हस्ताक्षर कर व मुद्रा अंकित करेगें। स्वाध्यायी छात्रों के संशोधन केवल विगत वर्ष की परीक्षा की अंकसूची के आधार पर ही मान्य किये जा सकेगें। यदि अन्य किसी संस्था / छात्र के संशोधन पत्रक आपको प्राप्त हुए हो तो उन्हें यथासंभव संबंधित संस्था / छात्र को सौपे अथवा तुरन्त समन्वयक संस्था के माध्यम से मण्डल मुख्यालय को लौटायें।
4. इस वर्ष संस्थावार छात्रों की सूची ऑनलाईन भी उपलब्ध कराई जा रही है। संस्था प्रमुख अपनी संस्था से संबंधित परीक्षार्थियों की सूची (नामिलनल रोल) **www.mpbse.nic.in** से प्राप्त कर सकते है। इस सूची में वही जानकारी दर्ज है जो संशोधन पत्रक में मुद्रित है। संस्था प्राचार्य इस नामिनल रोल का प्रिंट लेकर यदि किसी प्रकार का संशोधन–नाम, पिता का नाम,माता का नाम,जन्मतिथि, विषय,माध्यम आदि में किया जाना है तो त्रुटिपूर्ण जानकारी पर गोला लगाकर लाल स्याही से अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों से संशोधन करें। संशोधन उपरांत हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित करते हुए यह सूची दिनांक 15 जनवरी 2012 तक संबंधित जिला समन्वयक संस्था में जमा करें। उक्त कार्यवाही मण्डल से संशोधन पत्रक अप्राप्त होने की दशा में ही की जाए।

संशोधन पत्रक प्राप्त कर समन्वयक संस्था में वापस जमा करने की तिथियां

क्र.	विवरण	तिथियाँ
1	संशोधन पत्रक मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा समन्वयक संस्थाओं से प्राप्त करने की तिथि।	09-01-2012
2	संस्था प्राचार्य द्वारा संशोधन पत्रक संशोधन कर जिला समन्वयक संस्था में जमा करने की अंतिम तिथि	15-01-2012
3	जिला समन्वयक संस्था द्वारा समस्त एकजाई संशोधन पत्रक मण्डल कर्मचारी को सौपने की अंतिम तिथि।	17-01-2012

D:\BSK\samanbay\ENROLMENT\ENROL_1112.doc

ब–नामांकन आवेदन पत्र विषयक कार्यवाही निम्न निर्देशानुसार सुनिश्चित करें :–

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल नामांकन विनियम 1994 के अनुसार मण्डल की परीक्षा में प्रविष्ट होने के लिये नामांकन प्राप्त होना आवश्यक है। बिना नामांकन के कोई भी छात्र परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं है।
2. संस्था प्राचार्य नामांकन आवेदन पत्र शुल्क रूपये 5/– प्रति विद्यार्थी की दर से **भारतीय स्टेट बैंक में मण्डल के निर्धारित बैंक चालान की द्वितीय प्रति** के साथ संबंधित समन्वयक संस्था से कोरे नामांकन आवेदन पत्र प्राप्त करेगें।
3. संस्था प्राचार्य भरे हुये नामांकन आवेदन पत्रों के साथ 80/– प्रति छात्र की दर से नामांकन शुल्क बैंक चालान के माध्यम से मण्डल कोष में जमा करेगें। चालान की द्वितीय प्रति नामांकन आवेदन पत्रों के साथ मण्डल को उपलब्ध करायगें। नामांकन आवेदन पत्रों के सील बंद लिफाफे पर संस्था क्रमांक, संस्था का नाम, कुल भरे हुए नामांकन आवेदन पत्रों की संख्या इत्यादी की जानकारी भी अंकित कर संबधित जिला समन्वयक संस्था में निर्धारित तिथि में जमा करेगें।

नामांकन आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं समन्वयक संस्था में वापस करने की तिथियां

क्र.	विवरण	तिथियाँ
1	जिले की समन्वयक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को कोरे नामांकन आवेदन पत्र वितरण की तिथि।	16-01-2012 to 17-01-2012
2	मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा पूर्ति उपरांत नामांकन आवेदन पत्र शुल्क सहित जिला समन्वयक संस्था में जमा करने की अंतिम तिथि।	06-02-2012
3	जिला समन्वयक संस्था द्वारा भरे हुए नामांकन आवेदन पत्र सीधे मण्डल मुख्यालय को प्रेषित करने की अंतिम तिथि।	08-02-2012

(केदार शर्मा)
सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/ 353 /परीक्षा समन्वय/2012 भोपाल, दिनांक 06 जनवरी ,2012

प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त लोक शिक्षण, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. प्राचार्य जिला समन्वयक संस्थायें मध्यप्रदेश।
5. आंचलिक अधिकारी/समस्त, संभागीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लिखा जाता है कि अपने स्तर से उक्त आशय की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायेगे साथ ही समयावधि में उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल की ओर भेजकर लिखा जाता है कि उक्त आशय की प्रेस विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. पंजीयक परीक्षा/विधि अधि./सी.एस.ओ /एस ए डाटा/सुरक्षा अधिकारी
8. सहायक सचिव/ कक्षाधिकारी – परीक्षा–संभाग एवं भण्डार/प्रेस भण्डार की ओर सूचनार्थ।
9. निजी सहायक अध्यक्ष/सचिव/संयुक्त संचालक वित्त/अति सचिव/उपसचिव/परीक्षा नियत्रंक कि ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश
भोपाल